न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 87/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/120

प्रार्थीगणः—

स्व. सूरजबाई स्व. बाबूलालजी वैष्णव निवासी रायपुर हाल निवासी बैंगलोर के उत्तराधिकारी —

1. रामचन्द्र वैष्णव पुत्र मनोहरलालजी निवासी मकराना का मौहल्ला राणावतजी का मन्दिर जोधपुर
2. निर्मल पुत्र रामचन्द्रजी वैष्णव निवासी मकराना का मौहल्ला राणावतजी का मन्दिर जोधपुर
3. गीतांजली पुत्री रामचन्द्रजी पत्नी नितिन प्रकाश निवासी समदड़ी रोड़, जगदम्बा मन्दिर के पास बालोतरा, बाड़मेर
4. मधु पत्नी स्व. सत्यनारायणजी निवासी बुद्धविहार रोड़, पुलाकेशीनगर बैंगलोर नोर्थ, बैंगलोर कनार्टक
5. प्रवीण पुत्र स्व. सत्यनारायणजी निवासी बुद्धविहार रोड़, पुलाकेशीनगर बैंगलोर नोर्थ, बैंगलोर कनार्टक
6. दीपक कुमार पुत्र स्व. सत्यनारायणजी निवासी बुद्धविहार रोड़, पुलाकेशीनगर बैंगलोर नोर्थ, बैंगलोर कनार्टक
7. प्रियंका पुत्री स्व. सत्यनारायणजी निवासी बुद्धविहार रोड़, पुलाकेशीनगर बैंगलोर नोर्थ, बैंगलोर कनार्टक
8. रामेश्वरी पुत्री बाबूलालजी पत्नी विजय कुमार निवासी 13/9 2nd Cross KV Layout Near Rangappa Apartments, Banglore South, Banglore, Karnataka 560011
9. प्रमीला पुत्री बाबूलालजी पत्नी विशाल तत्ववेदी निवासी 137/20 6th मैन, 4 th ब्लॉक जयानगर बैंगलोर साउथ, बैंगलोर कर्नाटक

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. ग्राम पंचायत सोजत रोड़, नगर जरिये सरपंच
2. हीरालाल पुत्र माणकलालजी मारू सरगरा, निवासी ग्राम सोजतरोड़, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
3. नगरपालिका सोजत रोड़ जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सोजतरोड़।

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

10. प्रभा शर्मा पुत्री बाबूलालजी पत्नी किशोर प्रकाश शर्मा, निवासी दप्तरियों का बास, जैन मंदिर के पास, मोती चौक, जोधपुर, राजस्थान
11. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बाबूलाल निवासी 34 बुद्धविहार रोड़, पुलाकेशीनगर, बैंगलोर नोर्थ, बैंगलोर, कर्नाटक
12. सुनील कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी 34, बुद्धविहार रोड़, पुलाकेशीनगर, बैंगलोर नोर्थ, बैंगलोर कर्नाटक

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल भाटी।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन कुमार चौहान।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/04/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सोजत रोड़ द्वारा मिसल संख्या 10/2024–25, संकल्प संख्या 04 दिनांक 20.08.2024 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 20.08.2024 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहसु सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सूरजबाई के नाम का खरीदसुदा मालिकाना हक, स्वामित्व का आवासीय मकान ग्राम सोजत रोड़ में आया हुआ है, जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में मोहनलाल मोदी का मकान, पश्चिम दिशा में सोजतरोड़ से सोजतसिटी जाने का रास्ता, उत्तर दिशा में प्रेमसिंह गहलोत का मकान, दक्षिण दिशा में मोहनलाल मोदी का मकान। उक्त मकान व उसमें दो दुकानें सूरजबाई ने दिनांक 12.04.1982 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद की थी। उक्त पडौस के बीच के मकान व दुकानों में से एक कमरे को छोड़ कर शेष भू–भाग परिसर को सूरजबाई ने अपने जीवनकाल में ही राजप्पन पी.के. पुत्र कून्जू कनवासी केरल हाल निवासी सोजतरोड़ वालों को रहवास व व्यवसाय हेतु किराये पर दिया गया था। किरायेदार ने किरायेदारी की शर्तों को उल्लंघन किया जिस सम्बन्ध में सत्र न्यायालय सोजत में किरायेदार के विरूद्ध बेदखली का वाद संख्या 11/2017 दर्ज किया। उक्त वाद में प्रतिवादीगण द्वारा

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

दिनांक 20.01.2025 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 01 सपठित आदेश 07 नियम 14 दीवानी प्रक्रिया संहिता का पेश किया जिसमें हीरालाल के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे का हवाला दिया तब प्रार्थीगण को सर्वप्रथम प्रश्नगत पट्टे की जानकारी हुई। अप्रार्थी को जैर आराजी का सुरजबाई के द्वारा खरीद करने की जानकारी पूर्व से थी उसके उपरान्त भी विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। जैर निगरानी पट्टा पूर्व से जारी पट्टासुदा भूमि पर जारी किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2019(2) DNJ (Raj.) 570, 2018(1) DNJ (Raj.) 111, 2016(4) DNJ (Raj.) 1799, AIR 1998 Raj 282 पेश कर विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद वर्ष 2017 से विचाराधीन है, जिसमें वर्ष 2025 में पट्टे को शून्य घोषित करने का संशोधित वाद पेश किया गया। इसके पश्चात् न्यायालय हाजा में जैर निगरानी याचिका पेश की गई। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.09.2025 को सिविल न्यायालय के प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टे की जानकारी वर्ष 2017 से थी, इसके उपरान्त भी उन्होने 08 वर्ष पश्चात् जैर निगरानी की है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के तहत में वर्णित सम्पूर्ण प्रावधानों की पालना करते हुये विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत सोजत रोड़ द्वारा मिसल संख्या 10/2024–25, संकल्प संख्या 04 दिनांक 20.08.2024 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 20.08.2024 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 08 वर्ष बाद पश्चात् पेश की है, जो कि म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को जानकारी होने पर अन्दर म्याद उक्त निगरानी याचिका पेश की, इसके अतिरिक्त जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि लगभग 38 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16537/2025 में आदेश दिनांक 03.09.2025 के जरिये स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, इसलिये जैर निगरानी याचिका के जरिये प्रश्नगत पट्टे को निरस्त नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने विपक्षी अधिवक्ता के उक्त उज्र के सम्बन्ध में निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित किया गया है, न कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में, साथ ही जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की गई है, जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली का अवलोकन करने पर पाते है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 03.09.2025 के जरिये दीवानी मूल वाद संख्या 11/2017 की आगामी कार्यवाही को स्थगित किया है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध पेश कर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। चूंकि धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित होने से अधिवक्ता अप्रार्थी का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पूर्व से जारी पट्टासुदा भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थीगण अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी आराजी अप्रार्थी की खरीदसुदा है और ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी की खरीदसुदा भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों की ताईद में पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12.04.1982 के अनुसार सुरजबाई पत्नी बाबूलालजी ने गोदावरी से एक पट्टासुद मकान क्रय किया था, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में प्रभुसिंह जी रावणा राजपूत का मकान, दक्षिण दिशा में मोहनलालजी मोदी का मकान, पूर्व दिशा में मोहनलालजी मोदी का मकान तथा पश्चिम दिशा में सोजतसिटी से सोजत रोड़ रेल्वे स्टेशन जाने वाली आम सड़क स्थित है। इसके अतिरिक्त उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख में अंकितानुसार "इस मकान का पुराना पट्टा संख्या 8/46–47 महाराजा गुमानसिंहजी ठिकाना सिहाट द्वारा दिनांक 04.11.1946 को स्व. रांगादासजी पुत्र रिणछोड़दास जाति देवाकर (वैष्णव) के पक्ष में बना हुआ है।" साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीगण ने ठिकाना के पट्टे की प्रति भी पेश की है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस उत्तर दिशा में प्रेमसिंह पुत्र प्रभुसिंह, दक्षिण दिशा में मोहनलाल मोदी, पूर्व दिशा में प्रेमसिंह व मोहनलाल मोदी तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता व निकास अंकित है। जैर निगरानी पट्टा तथा पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12.04.1982 में वर्णित पड़ौस एक दुसरे के समान है तथा उक्त विक्रय विलेख अनुसार जैर आराजी का पूर्व में ठिकाना सिहाट द्वारा पट्टा जारी हो चुका है। उपुर्यक्त समस्त तथ्यों, सीमाओं की समानता से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि दोनों पट्टे वस्तुतः एक ही भूखण्ड से सम्बन्धित हैं। ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। यदि किसी भूमि का बाद में कोई दूसरा पट्टा जारी किया जाता है जो पहले पट्टाधारी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह विधि सम्मत नहीं होगा और रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मणसिंह (2018) में यह स्पष्ट किया कि एक भूमि पर दो पट्टे जारी करना अधिकारों का दुरूपयोग है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त सीताराम बनाम राजस्थान सरकार (2019) में माननीय न्यायालय ने अंकित किया कि भूमि पट्टों में द्वैत अधिकार नहीं बन सकते, यदि ऐसा होता है तो बाद में जारी पट्टे

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

को अवैध माना जाएगा तथा मधु सुकन्या बनाम ग्राम पंचायत (2019) में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि पट्टों की स्थिति में प्राथमिक पट्टा वैध माना जाएगा और दूसरा पट्टा रद्द किया जाएगा अर्थात भूमि के पट्टों का दोहरीकरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक हितों के खिलाफ भी है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की, जो अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के तहत जारी किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उसके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया और न ही प्रस्तावित भूमि के पड़ौस अंकित किये जबकि पंचायत नियम 145 के अनुसार पंचायत से कोई भी आबाद भूमि खरीदने का इच्छुक काई व्यक्ति, पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा, जो क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो तथा आवेदक अपने आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करायेगा और यदि आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो, तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिए भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा, जिसकी पालना हस्तगत मामलें में निश्चित रूप से नहीं की गई। प्रश्नगत मिसल की आदेशिका दिनांक 20.06.2024 में निरीक्षण शुल्क, नक्शा शुल्क, आवेदन शुल्क के रूपये 120/– रूपये जमा ओना अंकित किया परन्तु उक्त राशि वास्तव में कब, किस माध्यम से एवं किस रसीद संख्या के अन्तर्गत जमा कराई गई, इसका कोई अभिलेख अथवा प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप, प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता कि पट्टा किस सटीक भूमि के सम्बन्ध में चाहा गया है। भूमि की पहचान, स्थिति एवं सीमाओं के अभाव में ग्राम पंचायत द्वारा निष्पक्ष एवं विधिसम्मत विचार किया जाना सम्भव नहीं है, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं वैधानिकता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 20.06.2024, जो कि प्रथम आदेशिका थी, के द्वारा द्वारा सचिव को भूमि का नक्शा बनाने एवं मौका निरीक्षण समिति को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

गया, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। आवेदक द्वारा नियम 145(2) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान निर्धारित प्रिटेंड प्रारूप में है, जिसमें सुविधानुसार नाम अंकित किये गये है, जो कि पूर्णतया नियमों के विपरीत है। गवाहों के बयान व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से लिये जाने चाहिए, न कि पूर्वनिर्धारित फॉर्मेट में, क्योंकि इससे गवाहों की सच्चाई और स्वतंत्रता पर सन्देह होता है, जो न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रमाणिकता के सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है। पूर्व से प्रिंटेड प्रारूप में बयानों में नाम भरना, गवाह के स्वतंत्र बयान को प्रभावित करता है तथा गवाहों के बयान कब लिये गये इस संम्बन्ध में किसी दिनांक का अंकन नहीं है, साथ ही प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। ग्राम पंचायत ने पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एंव उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सोजत रोड़ द्वारा मिसल संख्या 10/2024–25, संकल्प संख्या 04 दिनांक 20.08.2024 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 20.08.2024 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)